Reference regarding Proclamation of Emergency in the country on 25 June, 1975

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्यगण, यह सदन सन् 1975 में देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** इसके साथ ही, हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं, जिन्होंने इमरजेंसी का पुरज़ोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** भारत के इतिहास में 25 जून, 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा । इसी दिन तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था । भारत की पहचान पूरी दुनिया में ?लोकतंत्र की जननी? के तौर पर है । भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद-संवाद का संवर्धन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया है । ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई । भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटा गया ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई । यह वह दौर था, जब विपक्ष के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया । पूरे देश को जेलखाना बना दिया गया था । तब की तानशाह सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी थीं और न्याय पालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था । इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में एक ? अन्याय काल? था, एक काला काल खंड था । इमरजेंसी लगाने के बाद, उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए, जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया । क्रूर और निर्दयी ? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा में बदलाव कर के कांग्रेस पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाएं । मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसिडिंग्स (प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन) रिपील एक्ट, प्रेस काउंसिल (रिपील) एक्ट और प्रिवेन्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट लाए गए ।

इस काले कालखंड में ही संविधान में 38 वां, 39 वां, 40 वां, 41 वां और 42 वां संविधान संशोधन किया गया । कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए इन संशोधनों का लक्ष्य था कि सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाएं,

न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किये जा सकें । ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया गया ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशियरी की बात कही, जो कि उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है । इमरजेंसी अपने साथ ऐसी असामाजिक और तानाशाही की भावना से भरी भयंकर कुनीतियां लेकर आई, जिसने गरीबों, दलितों और वंचितों का जीवन तबाह कर दिया ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा । यह सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वर्ष 1975 से 1977 का काला कालखंड अपने आप में एक ऐसा काला कालखंड है, जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है । ये कालखंड हमें याद दिलाता है कि कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया और क्यों इनकी रक्षा आवश्यक है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ऐसे समय में जब हम आपातकाल (इमरजेंसी) के 50 वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह 18 वीं लोक सभा, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों कर विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं । हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिसके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उसकी सराहना करते हैं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वर्ष 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की क्रूर सच्चाइयों का सामने करते हुए उठा था । वर्ष 1975 में आज ही के दिन तब की कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट-फैक्टो रेटिफिकेशन किया था, इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मुहर लगायी थी । इसलिए, हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली इस दूसरी आजादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए, आज ये प्रस्ताव पास किया जाना आवश्यक है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** हम ये भी मानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए । इमरजेंसी के दौरान गैर-कानूनी गिरफ्तारियाँ और सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थीं ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** उनके परिवार वालों को असीमित कष्ट उठाना पड़ा था । इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** इमरजेंसी के उस काले कालखंड में, कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश से प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम दो मिनट का मौन रखते हैं ।

13.14 hrs

The Members then stood in silence for a short while.

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 27 जून, 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की समाप्ति के आधे घण्टे पश्चात् तक के लिए स्थगित की जाती है ।

13.15 hrs

The Lok Sabha then adjourned till half-an-hour after the Address by the President

on Thursday, June 27, 2024/Ashadha 6, 1946 (Saka).

———

---

* Elected on 26 .06.2024.

** Nominated on 20.06.2024.

The following two separate orders were issued by the President of India on 20.06.2024.

1. Whereas the office of the Speaker will become vacant immediately before the commencement of the first meeting of the House of the People on June 24, 2024 and the Office of the Deputy Speaker is also vacant.

Now, therefore, in exercise of the power conferred upon me by clause (1) of Article 95 of the Constitution of India, I hereby appoint Shri Bhartruhari Mahtab, a Member of the House of the People, to perform the duties of the office of the Speaker from the commencement of the sitting of the House of the People on June 24, 2024 till the election of the Speaker by the said House.

2. I hereby appoint Shri Suresh Kodikunnil, Shri Thalikkottai Rajuthevar Baalu, Shri Radha Mohan Singh, Shri Faggan Singh Kulaste and Shri Sudip Bandyopadhyay to be the persons before any of whom Members of the House of the People may make and subscribe the oath or affirmation in accordance with provision of article 99 of the Constitution of India.

Droupadi Murmu,

PRESIDENT OF INDIA